12.03.24 प्रार्थी द्वारा वाद पत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजीनामा होने के कारण वाद पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं इसी स्तर पर खारिज किया जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद इसी स्तर पर खारिज किया जा चुका है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र औचित्यहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली वाद तरमीम तकमील होकर दाखिल दफ्तार हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
R.A.S.

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2024.05.23 10:25:25 IST
Reason: SelfAttested